

/ यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून पर हुई चर्चा

संसू झूंसी : महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र झूंसी में यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में अधिवक्ता अंचल गुप्ता ने कहा कि घटना छोटी या बड़ी नहीं होती है। यदि आप छोटी घटना को अनदेखा करते हैं तो भविष्य में बड़ी घटना की संभावनाएं ज्यादा रहती है। आप सभी को उत्पीड़न का डटकर विरोध करना चाहिए। अकादमिक निदेशक प्रो. दिगंबर ने कहा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न आज के समय में एक गंभीर समस्या है।

छोटी घटनाओं को भी न करें अनदेखा : आंचल गुप्ता



कार्यशाला में आंचल गुप्ता का स्वागत करते निदेशक तंगलवाड़। स्रोत: स्वयं

झूंसी। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र झूंसी में पार्टनर्स फॉर लॉ इन डेवलपमेंट नई दिल्ली की ओर से कार्यशाला मंगलवार को हुई। मुख्य वक्ता अधिवक्ता आंचल गुप्ता ने कहा कि घटना कोई छोटी और बड़ी नहीं होती है। आप छोटी घटना को अनदेखा करते हैं तो भविष्य में बड़ी घटना की संभावनाएं रहती हैं। उनका स्वागत केंद्र के अकादमिक निदेशक प्रो. दिगंबर मा. तंगलवाड़ ने किया। कार्यशाला के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। संवाद

यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून पर हुई कार्यशाला

झूंसी। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र झूंसी और पार्टनर्स फॉर लॉ इन डेवलपमेंट नई दिल्ली की ओर से मंगलवार को कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून पर एक दिवसीय कार्यशाला हुई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता अधिवक्ता अंचल गुप्ता यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून पर विस्तार चर्चा की। मुख्य वक्ता का स्वागत केंद्र के अकादमिक निदेशक प्रो. दिगंबर म तंगलवाड़ ने किया। स्वागत वक्तव्य डॉ. सुप्रिया पाठक ने दिया।